भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006

Phone
Director 0151-2250147
AO/AAO 0151-2253123
EPABX 0151-2250960
Fax 0151-2250145
Email ciah@nic.in

पत्रावली क्रमांक:07(ii)09/CS/SH/2019-20/ 8408 दिनांक:20.02.2021
स्पीड पोस्ट

Email: saurabh817@rediffmail

सेवामें

मैसर्स उपवन रेस्टोरेन्ट,
लेन नं-4 हाउस नं-27,
मोहित नगर,
देहारादून - 248 006.
(उत्तरा खंड).

विषय :- Annual Job contract for outsourcing of maintanance upkeep and other day to day services/works (Except sweeping and cleaning) and related services/job(s) in the Scientist Home/Farmer Guest House at ICAR-CIAH, Bikaner हेतु अनुबंध बाबत।

संदर्भ:- 1.आपकी ऑनलाईन तकनीकी एवं वित्तीय बीड आई.डी.सं.1890967 दिनांक 25.01.2020.
2. संस्थान के पत्र क्रमांक:07(ii)09/CS/SH/2019-20/12093 दिनांक 19.03.2020.
3. आपके ईमेल पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 01.10.2020.
4. आपके ईमेल पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 31.12.2020.
5. आपके अनुबंध विलेख पत्र 01.10.2020।
6.संस्थान के पत्र क्रमांक 07(ii)09/CS/SH/2019-20/ 5517-5523 दिनांक 24.10.2020.
7. आपके ईमेल पत्र UPAVAN/ICAR-CIAH/Bikaner/2020-21/150 दिनांक 17.12.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है की संस्थान पर Annual Job Contract for Outsourcing of maintanance upkeep and other day today service/works (Except sweeping and cleaning) and related services/job(s) in the Scientist Home/Farmer Guest House at ICAR-CIAH,Bikaner हेतु ऑनलाइन निविदाओ के क्रम में आपकी ऑनलाइन तकनीकी एवं वितिय बीड आई.डी.सं1890967 दिनांक 25.01.2020 अनुसार प्रस्तुत निम्नांकित विवरणानुसार दर रु.57,046/- (रु.सतावन हजार छियालिस मात्र) सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है | अतः आपको दिनांक 01.03.2021 से अनुबद्ध के अनुसार कार्य शरु करे |

**JOB DETAIL**

**ANNUAL JOB CONTRACT FOR OUTSOURCING OF MAINTENANCE, UPKEEP AND OTHER DAY TO DAY SERVICES/WORKS (EXCEPT SWEEPING AND CLEANING) RELATED SERVICES/JOB(S) IN THE SCIENTIST HOME/ FARMERS GUEST HOUSE AT ICAR-CIAH, BIKANER.**

Attending of routine day to day maintenance, upkeep the Scientist Home/Farmers Guest house related jobs:-

1. संस्थान में सरकारी कार्य या अन्य कार्य से आने वाले अतिथियों को वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने और भोजन की व्यवस्था करना एवं चाय परोसना, नाश्ता, दोपहर तथा रात्रि का भोजन इत्यादि अच्छा उच्च गुणवता का होना चाहिए।
2. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में स्थापित सभी स्थाई एवं अस्थाई सामान की सूची के अनुसार एजेंसी को उपभोग हेतु दिया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर सूची के अनुरुप ही ठेकेदार को प्रभारी गेस्ट हाउस को सुपुर्द करना होगा।
3. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में उपभोग हेतु कम्बल, चद्दर, तकिया एवं तकिया कवर व तौलिया संस्थान स्तर पर उपलब्ध करायें जायेंगे, जिनकी सूची बनाकर एजेंसी को सुपुर्द किया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर उसी सूची के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रभारी गेस्ट हाउस को वापस सौंपना होगा।
4. भोजन बनाने व उसको परोसने हेतु बर्तन उपलब्ध कराया जाना जो कि एजेंसी को गिनकर उचित गुणवत्त में दिये जायेंगे तथा अनुबंध पूर्ण होने पर उसी गुणवता एवं संख्या के साथ एजेंसी को वापस सौंपना होगा। बर्तनों के गुम होने पर अथवा टूट-फूट की संपूर्ण

जिम्मेदारी एजेंसी की होगी, जिसके लिए बर्तनों की अवेज में उचित राशि ठेकेदार के बिल अथवा जमानती राशि में से काटी जायेगी जिसका निर्णय संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। बिल जमानती राशि के कम होने पर शेष राशि की एजेंसी द्वारा भरपायी की जानी होगी एवं इस हेतु विधिक कार्यवाही के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा, जिसको मानने के लिए एजेंसी बाध्य होगी। एल.पी.जी. गैस इत्यादि की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

5. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के अंदर लॉन एवं गमलों की आवश्यकता अनुसार देख-भाल करना।

6. ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के लिये दिन-रात कार्य सर्विस उपलब्ध करवायी जायेगी [Total Points Manpower (04)] " अर्धकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमे कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनेर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

7. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के अन्दर सभी सामान की साफ-सफाई [झाडू-पोचे के अलावा] की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

8. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के रिकार्ड को प्रभारी गेस्ट हाउस के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना और अतिथियों से प्राप्त राशि को कार्यालय में समय से जमा कराना। वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में ठहरने वाले आगंतुकों से सम्बंधित समस्त विवरण रखने की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।

9. प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा बताये गये अन्य रख-रखाव कार्य करना होगा। साथ ही एजेन्सी को गेस्ट हाउस के चद्दरों व तकिये कवर की धुलाई आवश्यकतानुसार व समय-समय पर कंबलों की ड्राईक्लीन प्रभारी के दिशा-निर्देश के अनुसार करवानी होगी। लेकिन उसका बिल प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा सत्यापित करने पर भुगतान होगा।

10. संस्थान परिसर में समय-समय पर होने वाले समारोह, आयोजन बैठकों प्रशिक्षण में बाहर से विशिष्ठ व्यक्तियों/अधिकारियों के आगमन पर चाय, पानी एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

11. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने वाले अतिथियों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की दरें प्रभारी गेस्ट हाउस/सक्षम अधिकारी की सहमति से निर्धारित होगी जिसकी ठेकेदार को पालना करनी होगी।

**NOTE:- The rate of Tea, Coffee, Breakfast, Lunch and Dinner in Scientist Home/Farmers Guest House to be charged from the Guests staying in the Scientist Home/Farmers Guest House shall required to be got approved by the Agency from Director, ICAR-CIAH, Bikaner. The decision of the Director, ICAR-CIAH, Bikaner in this regard shall be final.**

| S.No. | Particulars (Existing Rates) | Rate/Amount Cost per month per point | Monthly Liability (Rupees) |
|---|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 1. | Minimum wages as prescribed by Govt. of India w.e.f. 01.10.2019 | 385/- | 385 x 26 =10010.00 |
| 2. | EPF @13 Rs.15000/- being the maximum limit on part of employer vide EPFO notification No.actuarial/18(2)2008/Vol.III/7738 dated 29.08.2014) | @ 13.00 % of wages | 1301.30 |
| 3. | ESI | @ 3.25% | 325.32 |
| 4. | **Sub-total (1+2+3)** | -- | 11636.62 |
| 5. | GST as claimed by firm | @18% of 4 | 2094.00 |
| 6. | **Cost per point per month Rs. (Sum of 4+5) [including GST as claimed by firm]** | -- | **13730.62** |
| 7. | **Total cost for 04 points/Manpower per month.** | -- | Rs. 54922.48<br>Say Rs.54922.00 |
| 8. | Service Charges | | Rs.1800.00 |
| 9. | GST on Service Charges | @ of 8 | Rs.324.00 |
| 10. | Total service charge + GST (sum of 8+9) | | Rs.2124.00 |
| 11. | **Grand Total Monthly liability Sum of 7 + 10** | | 57,046.48<br>Say Rs.57,046.00<br>[Inclusive of Service Charges& GST quoted by Bidder/Agency] |

Cotd..3

1. **वैज्ञानिक गृह / किसान अतिथि गृह के कार्य हेतु नियम एवं शर्ते :-**

1. कार्य की अवधि कार्यादेश जारी होने की **दिनांक से एक वर्ष तक** की होगी लेकिन प्रथम आदेश **तीन माह** के लिए ही जारी किया जावेगा| इस अवधि में कार्य संतोषजनक रहने एवं बिल/दस्तावेज़ [EPF,ESI,GST] प्रस्तुत करने पर ही आगे बढ़ाया जावेगा, परंतु अनुबंध की समय सीमा बढाने या घटाने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
2. संस्थान में सरकारी कार्य या अन्य कार्य से आने वाले अतिथियों को वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने और भोजन की व्यवस्था करना। चाय, नाश्ता, दोपहर तथा रात्रि कॉ भोजन इत्यादि अच्छा उच्च गुणवता का होना चाहिए।
3. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में प्रयोग होनेवाले आवश्यक सभी सामान जैसे पलंग, गद्दे, चद्दरें, तकिये, फ्रिज, कूलर, गीजर, इनवर्टर, गैस सिलेंडर, चूल्हा एवं खाना बनाने में कार्य में आने वाले बर्तन इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जावेंगे लेकिन इनके सही ढंग से रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। खाली गेस सिलेण्डर भरवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व उसका भुगतान भी उसे ही वहन करना होगा।
4. ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के लिये दिन-रात कार्य सर्विस उपलब्ध करवायी जायेगी [Total Points Manpower (04)]. The staff deployed for performing unskilled nature of job should be capable of reading and writing Hindi and English with a minimum qualification of Middle Standard [02 Points]. and also having experience/knowledge of relevant work.
5. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के अंदर सभी सामान की साफ-सफाई [झाडू-पोचे के अलावा] की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
6. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के रिकार्ड को प्रभारी गेस्ट हाउस के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना और अतिथियों से प्राप्त राशि को कार्यालय में समय से जमा कराना। वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में ठहरने वाले आगंतुकों से सम्बंधित समस्त विवरण रखने की जिम्मेदारी एर्जेसी की होगी।
7. प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा बताये गये अन्य रख-रखाव कार्य करना होगा। साथ ही एजेन्सी को गेस्ट हाउस के चद्दरों व तकिये कवर की धुलाई आवश्यकतानुसार व समय-समय पर कंबलों की ड्राईक्लीन प्रभारी के दिशा-निर्देश के अनुसार करवानी होगी। लेकिन उसका बिल प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा सत्यापित करने पर भुगतान होगा।
8. कार्य का भुगतान प्रतिमाह बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर 30 दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या, GST अंकित की जानी आवश्यक है।
9. संस्थान परिसर में समय-समय पर होने वाले समारोह, आयोजन बैठकों प्रशिक्षण में बाहर से विशिष्ठ व्यक्तियों/अधिकारियों के आगमन पर चाय, पानी एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
10. अनुबंध की अवधि में स्वयं अनुबंध कर्ता/उसके प्रतिनिधि द्वारा संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारीयों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा तथा संस्थान की संपत्ति को नुकसान से बचाना होगा। कार्य के दौरान यदि ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
11. निविदादाता को भुगतान से संबंधित श्रमिक कानूनों का पुर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की संपुर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। Minimum wages, as prescribed by the Government of India from time to time should be payable to the personnel deployed by the Contractor for service to the office. भुगतान से संबंधित कोई भी विवाद होने/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का पुर्ण भुगतान स्वयं अनुबंधकर्ता/ठेकेदार को करना होगा।
12. अनुबंधकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों/प्रतिनिधियों का प्रत्येक माह काटे जाने वाले ई.पी.एफ./ई.एस.आई संबंधित रिकार्ड कार्यालय में जमा करवाने के उपरांत चालान की प्रतियॉ (प्रत्येक श्रमिक/प्रतिनिधि काअलग-अलग खाता संख्या के साथ (पिछले माह का अगले माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा जैसे जनवरी माह से अनुबंध जारी होता है तो फरवरी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा) हर माह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करवाये जाने वाले सेवा कर (Service Tax)/GSTकी सत्यापिल प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

..4

13. एजेंसी द्वारा लगाये जाने वाले कर्मियों द्वारा संस्थान की चल-अचल संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस प्रकार के नुकसान एवं अन्य किसी आपत्तिजनक गतिविधि के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी एवं इसकी वसूली एजेंसी के बिल में से की जावेगी।

14. अनुबंध के अंतर्गत लगाये जाने वाले कर्मियों की उम्र 21 से 45 वर्ष मे मध्य होगी एवं कार्य संतोषजनक न होने की अवस्था में एजेंसी को कर्मियों को तुरंत बदलना होगा अन्यथा अनुबंध रद्द कर दिया जावेगा एवं बकाया बिल यदि कोई हो, व धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

15. The Contractor/Agency shall have to pay the monthly wages to his worker under this contract in the bank Account of respective worker through electronic mode/e-payment of bank on or before 07th of every month at his own resources and the Agency shall have to submit required monthly detail including Wages Register, photo copy of Bank passbook of every worker deployed under the Contract to the Authorized Officer/Officers [Administrative Officer] of Institute for verification.

16. एजेंसी द्वारा संस्थान में लगाये गये सभी मजदूरों को लेबर कॉन्ट्रेक्ट (रेग्युलेशन एवं एबोलशन) एक्ट 1970 के अनुसार उपलब्ध सभी सुविधायें जैसे कि ई.एस.आई., ई.पी.एफ. आदि प्रदान करनी होगी।

17. कार्यावधि के दौरान यदि किसी कार्मिक के समक्ष किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो लेबर कॉन्ट्रेक्ट (रेग्युलेशन एवं एबोलशन) एक्ट 1970 के अनुसार ठेकेदार एजेंसी को ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

18. एजेंसी को माह के दौरान किये गये कार्य के भुगतान हेतु अगले महीने की पहली तारीख को मासिक बिल तीन प्रतियों में (पूर्व प्राप्ति किया हुआ) प्रस्तुत करना होगा।

19. व्यवसाय कर सहित अन्य सभी करों इत्यादि के सम्बधित विभाग को भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं संस्थान अलग से कोई भुगतान नही करेगा।

20. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।

21. पीने के पानी हेतु वाटर कूलर तथा उसके रख-रखाव का कार्य संस्थान स्तर पर पूर्ण किया जायेगा।

22. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में पानी की आपूर्ति का कार्य संस्थान स्तर पर पूर्ण किया जायेगा।

23. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी मशीन अथवा अन्य स्थाई सामान की मरम्मत का कार्य संस्थान स्तर पर पूर्ण किया जायेगा।

24. भोजन बनाने व उसको परोसने हेतु बर्तन उपलब्ध कराया जाना जो कि एजेंसी को गिनकर उचित गुणवत्ता में दिये जायेंगे तथा अनुबंध पूर्ण होने पर उसी गुणवत्ता एवं संख्या के साथ संस्थान को वापस करना होगा। बर्तनों के गुम होने अथवा टूट- फूट की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी, जिसके लिए बरतनों की अवेज में उचित राशि ठेकेदार के बिल से अथवा जमानती राशि में से काटी जायेगी, जिसका निर्णय संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। बिल/जमानती राशि के कम होने पर शेष राशि की भरपाई एकेंसी द्वारा की जानी होगी एवं इस हेतु विधिक कार्यवाही के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा, जिसको मानने के लिए एजेंसी बाध्य होगी। एल.पी.जी. गैस इत्यादि की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

25. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में स्थापित सभी स्थाई एवं अस्थाई सामान की सूची के अनुसार एजेंसी को उपभोग हेतु दिया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर सूची के अनुरुप ही ठेकेदार को प्र. गेस्ट हाउस को सूपुर्द करनाहोगा।

26. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में उपभोग हेतु कम्बल, चद्दर, तकिया एवं तकिया कवर व तौलिया संस्थान स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनकी सूची बनाकर एजेंसी को सूपुर्द किया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर सूची के अनुरुप ही ठेकेदार को प्रभारी गेस्ट हाउस को वापस सौंपना होगा।

27. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने वाले अतिथियों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की दरें प्रभारी गेस्ट हाउस/सक्षम अधिकारी की सहमति से निर्धारित होगी, जिसकी ठेकेदार को पालना करनी होगी।

28. The contractor shall keep a complete register with his supervisor, and it shall be open to verification by the authorized office of Institute for the purpose. All complaints should be immediately attended to by the Contractor/Agency.
29. The contract agreement is terminable with one month on either side.
30. The contractor/agency shall not sublet the work.
31. The contractor or his deployed workers shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which the contract is awarded.
32. The persons so deployed by the agency for performing the assigned job under this contract will be employee of the Agency/Contractor and will not be the employee of Institute and there will be no employer-employee relationship between the Institute and the person so engaged by the contractor in the aforesaid services/job.
33. The rates to be quoted should include cost of each and every item including material cost if any, transportation cost, manpower cost and taxes etc. The CIAH shall not bear any extra charge on any account whatsoever uniform, Liveries, OTA etc., if any.
34. The Contractor shall discharge all his legal & statutory obligations in respect of the each workers/supervisors to be employed/deployed by him for the execution of the work in respect of their minimum wages, EPF and ESI and service conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time. The contractor shall indemnify and keep indemnified the Institute from any claims, loss or damages that may be caused to it on account of any failure to comply with the obligations under various laws. In case of any dispute, the decision of Director, ICAR-CIAH shall be final and binding on the contractor. Any statutory increase in Minimum Wages, EPF/ESI and taxes etc. during the term of the Contract and its consequential effect of EPF and ESI contributions and service tax shall be reimbursed to the contractor by Institute. However, no request any alternation or increase in the Service Charge, to be quoted and payable to the Contractor/Agency as per S.No./Point No.08 Annexure-A to Schedule-III to Tender, shall be shall be entertained, considered and accepted by the Institute on any condition/ground whatsoever during the entire term of the contract.
35. Income Tax  GST/TDS shall be deducted from the payments due for the work done as per rule.
36. The Contractor must employ adult labour only. Employment of child labour would lead to the termination of the Contract beside legal action as per Law.
37. The contract is subject to the condition that the tenderer shall comply with all the laws and acts of Central Govt., State Govt. relating to this contract made applicable from time to time.
38. **Risk Clause:** ICAR-CIAH reserves the right to discontinue the service at any time, if the services are found unsatisfactory by giving a show-cause to be replied within a period of two days and also has the right to award the contract to any other agency at the risk and cost of current agency and excess expenditure incurred on account of this can be recovered from S.D. or pending bills of the Agency or by rising a separate claim.
39. The deployed manpower will not use Guest House movable items like bed,bedsheet,blanket,Towel,cushion and skeeper etc for self purpose.

**LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE:**

1. An amount of Rs.500/- per day per job will be levied as Liquidated Damage whenever and wherever it is found that the work is not up to the mark OR not executed in any Unit/Section of the Institute. It will be brought to the notice of the supervisory staff of the Firm/Agency/Contractor, by Institute and if no action is taken within one hour, liquidated damages clause will be invoked and shall be deducted/recovered from monthly bill(s)/Security Deposit of the Firm/Agency/Contractor

2. Any misconduct/misbehavior and un-lawful activity on the part of the manpower deployed by the agency will not be tolerated and such person(s) will have to be replaced immediately.
3. If the required number of Workers are less than the minimum required then as a Penalty of Rs.500/- per worker per day will be deducted from the bill.
4. In case of any Loss or Damage etc. occurred to the movable or immovable property(ies) of the Institute due to any act or negligence of the worker(s) deployed by the Firm/Agency/Contractor for execution of job/services as per Annexure-1, the said Loss/Damage etc. shall be recovered from the Firm/Agency/Contractor either from monthly bills or Security Deposit.
5. **MODE OF PAYMENT**:-

5.1 The agency shall submit monthly bills for the job performed during the preceding month on first working day of next month. The proof of contribution made for ESI, EPF and Service Tax paid for the Manpower deployed by the Contractor at the Institute are also to be deposited by the Agency/Contractor within 08 days of receipt of payment of preceding month. The Institute shall made payment through e-payment mode to the agency/contractor, in a reasonable period viz.30 days after completion/fulfillment of all obligations by the Contractor/Agency.

5.2 Income tax and GST/TDS as per rules will be deducted by the Institute from each monthly bill.

5.3. The Contractor/Agency shall have to pay the monthly wages to his worker under this contract in the bank Account of respective worker through electronic mode/e-payment of bank on or before 07th of every month at his own resources and the Agency shall have to submit required monthly detail including Wages Register, photo copy of Bank passbook of every worker deployed under the Contract the Authorized Officer/Officers [Administrative Officer] of Institute for verification.

6. **TERMINATION**:- This contract can be terminated by giving one months notice on either side and that any notice required to be served shall be sufficiently served on the parties if delivered to them personally or dispatched by the address herein given under registered post. The Institute will have no responsibility for any loss/damage caused to them. In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the personnel deployed by the service provider shall be entitled to and have no claim for any absorption in the regular/otherwise capacity in Institute/Council. This also cannot be challenged through any court of law.
7. **LOSS AND/OR DAMAGES**: Any theft, damage or loss of property (movable or immovable) of Institute occurred by the contractor or its deployed manpower or due to negligence of Contractor or its deployed manpower would be recovered from the Contractor and decision of the Competent Authority of Institute shall be a binding on agency.
8. Any legal dispute arising out of this contract shall be within the Jurisdiction of Bikaner Court(s).

The deployed manpower will not use Guest House movable items like bed,bedsheet,blanket,Towel,cushion and skeeper etc for self purpose.

भवदीय,

(रमेश)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी वैज्ञानिक गृह एवं किसान अतिथि गृह, भाकृअनुप-केशुबासं,बीकानेर को इस आशय के अस्थ की कृपया कार्यदेश की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे ।
2. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं,बीकानेर ।
3. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, -केशुबासं,बीकानेर ।
4. प्रशासनिक अधिकारी एवं भुगतान प्रमाणीकरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. श्री रमेश, प्रशासनिक अधिकारी, को इस आशय के साथ की संबन्धित फ़र्म को वैज्ञानिक गृह एवं किसान अतिथि गृह में उपलब्ध समस्त समान अपनी देख-रेख मे प्रदान करे ।
6. प्रभारी भंडार, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
8. प्रभारी प्रक्षेत्र, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. श्री पी.आर.सिंह, व.त.अ संबंधित फ़र्म को समान प्रशासनिक अधिकारी कि देख-रेख मे सुपुर्द करे ।
10. सतकर्ता अधिकारी, भाकृअनुप-केबापके, वेजलपुर ।
11. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक) भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. प्रभारी ए.के.एम.यु, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संस्थान कि वेब-साईट पर रखने हेतु ।

22.2.2021

**प्रशासनिक अधिकारी**

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER